मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय
<u>वल्लभ-भवन,भोपाल।</u>

<u>आदेश</u>

भोपाल,दिनांक 08/04/2020

क्रमांक 57/2020/दो/सी-1: यतः राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे यथा विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस आदेश के जारी किये जाने की दिनांक से निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, अर्थात-

<u>समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में/हेतु-</u>

1. समस्त स्वास्थ्य सुविधाये।
2. डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी।
3. स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता।
4. मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन।
5. दवॉईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण।
6. एम्बुलेंस सेवाएं।
7. पानी एवं बिजली की आपूर्ति।
8. सुरक्षा संबंधी सेवाये।
9. खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन।
10. बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मो.शाहिद अबसार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग।